FAX

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पर्यावरण को ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभावों से मुक्त करने हेतु सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–18942/2015, समीर कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–18.01.2016 को पारित आदेश द्वारा राज्य के नगर निगम/नगर निकाय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले तत्वों एवं यंत्रों के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित निदेश जारी किए गये हैं :–

(1) किसी सार्वजनिक स्थल की बाह्य सीमा पर, जहॉ लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या किसी अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का प्रयोग किया जा रहा हो, वहॉ शोर का स्तर, उस क्षेत्र के लिए मानक ध्वनि स्तर से 10 डीबी (ए) अथवा 75 डीबी (ए), जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) किसी व्यक्ति के द्वारा रात्रि के 10 बजे से सुबह 06 बजे के बीच, ढोल (Drum or Tomtom) या Trumpet या किसी अन्य शोर उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र या साउण्ड एम्पलीफायर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(3) किसी निजी परिसर में, किसी निजी साउण्ड सिस्टम के द्वारा उत्पन्न शोर का स्तर, उस परिसर की बाह्य सीमा पर, उस क्षेत्र के लिए निर्धारित मानक ध्वनि स्तर से 5 डीबी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।

(4) आवासीय क्षेत्र में किसी वाहन द्वारा हॉर्न का उपयोग रात्रि के 10 बजे से सुबह 6बजे तक, विशेष परिस्थति को छोड़कर, नहीं किया जाना चाहिए।

(5) सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, निर्धारित ध्वनि प्रदूषण की सीमा से बाहर का शोर उत्पन्न करने वाला पटाखों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(6) रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग पूर्णतः वर्जित होना चाहिए।

पूर्व में भी W.P(C) No- 72/1998 साथ में सिविल अपील नं0–3735/2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–18.07.2005 को पारित न्यायादेश के आलोक में पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–310(मु0)/ज0शि0को0, दिनांक–05.05.2015 से ध्वनि विस्तारक उपयोग एवं वादन नियंत्रण अधिनियम के संबंध में अनुपालन हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि सभी निजी, सार्वजनिक एवं धार्मिक समारोहों/कार्यक्रमों/स्थलों पर समान रूप से माननीय न्यायालय के उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/संगठन के विरूद्ध, अपराधिक मुकदमा दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

28/1/16

पुलिस महानिदेशक

बिहार, पटना।

ज्ञापांक......739....../एक्स0एल0

एक्स0एल0(विविध)–78–2015

पुलिस महानिदेशक के कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 28/1/2016

प्रतिलिपिः–

1. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक (रेल सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक(रेल सहित)/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक (रेल सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

28/1/16

पुलिस महानिदेशक

बिहार, पटना।